भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2524
उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में प्रवेश

2524. **डॉ. मन्ना लाल रावतः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान के पिलानी तथा जयपुर परिसरों में वर्तमान में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर के कौन-कौन से पाठ्यक्रम संचालित हैं;
(ख) क्या इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या स्वयं संस्थान द्वारा प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने वाले छात्र उक्त परिसरों में प्रवेश के पात्र होते हैं, यदि हाँ, तो इस संबंध में प्रवेश प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का उक्त परिसरों में अजा, अजजा, अपिव, सामान्य एवं महिलाओं जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित शुल्क संरचना पर कोई नियंत्रण या विनियामक अधिकार है;
(ङ) क्या निजी 'मानित विश्वविद्यालय' संस्थानों में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के चयन में केंद्र सरकार की आरक्षण नीति लागू होती है, यदि हाँ, तो इस संबंध में विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)
(क) से (घ) शिक्षा मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2020 में जारी अधिसूचना के अनुसार, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बीआईटीएस) - पिलानी एक 'उत्कृष्ट संस्थान' है। इसका मुख्य परिसर पिलानी, राजस्थान में स्थित है, इसके अतिरिक्त गोवा, हैदराबाद और मुंबई में कैंपस हैं और दुबई में ऑफशोर कैंपस है।
यह तीन स्तरों एकीकृत प्रथम डिग्री कार्यक्रम (अवर स्नातक स्तर), उच्च डिग्री कार्यक्रम (स्नातकोत्तर स्तर) और डॉक्टरेट कार्यक्रम (अनुसंधान स्तर) पर शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करता है। अवर स्नातक स्तर पर, रसायन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर विज्ञान, गणित एवं कंप्यूटिंग, पर्यावरण एवं संधारणीय जैसे विषयों में इंजीनियरिंग स्नातक (बीई) कार्यक्रम संचालित हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर, रसायन, कंप्यूटर

विज्ञान, यांत्रिकी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, संचार इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एम्बेडेड सिस्टम, डिजाइन, विनिर्माण प्रणाली और पर्यावरण इंजीनियरिंग जैसे विषयों में इंजीनियरिंग स्नातकोत्तर (एमई) कार्यक्रम संचालित हैं।

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, सेमीकंडक्टर और नैनो विज्ञान तथा सामान्य अध्ययन में बी.फार्मा, एम.फार्मा, एमबीए और एमएससी की डिग्री भी प्रदान की जाती है।

सभी एकीकृत प्रथम-डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश संस्थान द्वारा आयोजित बीआईटीएसएटी, बोर्ड टॉपर स्कीम और एसएटी के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त, उच्च डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश जीएटीई/जीपीएटी/बीआईटीएस एचडी टेस्ट/बीएएटी/सीएटी/एक्सएटी/जीएमएटी के माध्यम से होता है। डॉक्टरेट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए संस्थान द्वारा तैयार की गई परीक्षा/साक्षात्कार में प्रदर्शन और एनईटी को ध्यान में रखा जाता है। एनटीए बीआईटीएस-पिलानी में प्रवेश के लिए कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करता है।

बीआईटीएस-पिलानी यूजीसी (प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2017 (2021 में संशोधित) द्वारा अधिशासित है। ये विनियम संस्थानों को पारदर्शी योग्यता-आधारित प्रणाली के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने और अपनी आंतरिक नीतियों के अनुसार शुल्क निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, बशर्ते कि कोई प्रच्छन्न शुल्क या कैपिटेशन शुल्क न हों। ये विनियम संस्थानों को मेधावी छात्रों, जो पर्याप्त वित्तीय संसाधनों से वंचित हैं, को सहायता प्रदान करने के लिए एक विश्वसनीय और मजबूत वित्तीय सहायता कार्यक्रम बनाए रखने के लिए भी बाध्य करते हैं।

(ड) और (च): केंद्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 और केंद्रीय शिक्षण संस्थान (शिक्षक कैडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 कुछ केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रवेश और भर्ती में आरक्षण का प्रावधान करते हैं। ये अधिनियम सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित या उससे सहायता प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालय संस्थान भी शामिल हैं।

******